



72

निगरानी 4035-III-14

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्र.क. /14-निगरानी

सी.एम. गुप्ता 15.12.14
आज दि. 5-12-14 को
प्रस्तुत

कलक और कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

- 1 रामकिशन पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप
- 2 महारानी बाई बेवा रामस्वरूप निवासीगण
पलानी तहसील हरसूद जिला खण्डवा

— प्रार्थी

बनाम

- 1 कलाबाई पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार
- 2 सत्यनारायण उर्फ सत्यपाल पुत्र स्व0 श्री
कृष्ण कुमार
- 3 सावित्री बाई पुत्री श्री कृष्ण कुमार पत्नी
जितेन्द्र निवासीगण पलानी तहसील हरसूद
जिला खण्डवा

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959
विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 21-अ/06 वर्ष 2013-14 में पारित
आदेश दिनांक 18.07.2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी तहसील हरसूद जिला खण्डवा (म0प्र0)

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-



निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

यहकि प्रतिप्रार्थीगणो द्वारा पंजी क्रमांक 5 ग्राम पंचायत पलानी
के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3 में पारित आदेश दिनांक 02.10.2005 के

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4035-तीन/2014 जिला खण्डवा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> A3R</p> <p> अध्यक्ष</p>	